प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा-I)
ओडिशा, भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), ODISHA, BHUBANESWAR

परिपत्र / Circular

विषय/ Subject: हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष 2022 से संबंधित।
Regarding Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme for the year 2022 for original book writing in Hindi.

कृपया उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 234/रा.भा.अ/24-2022 दिनांक 06.04.2023, जो स्वत: स्पष्ट है, आपके सूचनार्थ, अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अग्रेतर इस कार्यालय के सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि संलग्नक सहित परिपत्र को अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संज्ञान में लायें। इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों हेतु हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस संबंध में अनुरोध है कि संलग्न कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशानुसार, यदि कोई पुस्तक "आधुनिक तकनीकी विज्ञान की किसी विधा उदाहरणार्थ इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि अथवा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि" पर हिंदी में प्रकाशित हुई है तो तदनुसार हिंदी प्रकोष्ठ को सूचित करें।

Please find herewith the enclosed Headquarters' letter No. 234/OLA/24-2022 dated 06.04.2023 on the subject cited above which is self-explanatory for information, perusal, and necessary action. Further all the branch officers of this office are requested to bring this circular including enclosures to the notice of all the officers and employees under their control. In this regard, it is mentioned here that Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojana is being organised by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for the original book writing in Hindi for the books published during the period w.e.f. 01.01.2022 to 31.12.2022. In this context, it is requested that as per the guidelines specified in the enclosed OM, if any book, either on "any discipline of modern technical science such as Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology Management, Psychology etc. or on contemporary topic such as Liberalization, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution etc. has been published in Hindi, the Hindi cell may be intimated accordingly.

संलग्नक: यथोपरि।
Enclosed: As stated above

हस्ता/-
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ हिंदी
Sr. Audit Officer/ Hindi Cell

Aryan pls. upload. 9/5/23
uploaded 09/05/23

ज्ञापन संख्या/ Memo No.हिंदी प्रकोष्ठ/38/मुख्यालय संबंधी पत्र/2023/35।

दिनांक/ Date:09/05/2023

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित

Copy forwarded for information and necessary action.

1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) ओडिशा, भुवनेश्वर/ The Secretary to PAG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
2- निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/ IV/ Personal Asstt. Sr. DAG, AMG III/ IV
3- निजी सहायक, उप महालेखाकार, प्रशासन/ ए.एम.जी. V/ Personal Asstt. DAG, Admn./AMG V
4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/ Personal Asstt. DAG, AMG II
5- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. I/ Personal Asstt. DAG, AMG I
6- कल्याण अधिकरी/ Welfare Officer.
7- नियत्रंणाधिकारी / शाखा अधिकारी - सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र में निर्दिष्ट राजभाषा से संबंधित उक्त योजना को अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लायें एवं परिपत्र में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापनों को संदर्भ हेतु इस कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करें।

   Controlling Officer/ Branch Officer- All the Branch Officers are requested to kindly bring this circular related to the said scheme to the notice of Officers/ employees under their control and also relevant OMs may be downloaded from the website of this office for the reference.

ए.एम.जी.-I	ए.एम.जी.-II	ए.एम.जी.-III	ए.एम.जी.-IV	ए.एम.जी.-V	ओ.एम. I एवं II
सम्पदा	ओ.ई.	प्र0 एवं परीक्षा	प्रशासन	विधिक	रिपोर्ट
रिपोर्ट पी.ए.सी.	ई.सी.पी.ए.	सचिवालय	कल्याण		

8- शाखाधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया अनुलग्नक सहित इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

   The Branch Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular along its enclosures on the website of this office.
9- सूचना पट्ट /Notice Board
10- अतिरिक्त प्रति / Spare Copy.

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ हिंदी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110 124

सत्यमेव जयते

संख्या:- 234/रा.भा.31/24-2022
OFFICE OF THE COMPTROLLER &
AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI - 110 124

(176)

दिनांक / DATE 06.04.2023

हिंदी प्रकोष्ठ / ... (Audit-I)
सी ए जी डा. 01
दिनांक/ Date 13/4/23

सेवा में,

1 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के
सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
(डाक सूची अनुसार)

2 महानिदेशक (मुख्यालय)

विषय:- हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2022

महोदय/महोदया,

कृपया राजभाषा विभाग के पत्र संख्या:12011/02/2023-रा.भा. (का-2) दिनांक 31 मार्च, 2023 का संदर्भ ले, जिसमें हिंदी में मौलक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-2022 की सूचना दी गई है। (प्रतिलिपि संलग्न) सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष इस विषय पर आवश्यकतानुसार अपेक्षित कार्रवाई कर सकते है।

यह पत्र महानिदेशक (राजभाषा) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

मीनाक्षी
6/4/2023
सहायक प्रशासन अधिकारी (राजभाषा)

28/04/23

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग(का.-2)

* * *

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड,नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 31 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2022

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए चलाई जा रही निम्नलिखित पुरस्कार योजना के लिए 01.01.2022 से 31.12.2022 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित हैं।

1. भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

विषय: पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा अथवा समसामयिक विषय पर लिखी हो सकती है। उदाहरणार्थ:-

i) इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि।
ii) समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि

पात्रता : भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है। **(प्रपत्र-1)**

पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	₹2,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	₹1,25,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	₹75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

2. उपर्युक्त योजना के लिए सामान्य शर्तें :

i) पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए।
ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।
iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
iv) योजना के अंतर्गत **01.01.2022 से 31.12.2022** के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।
v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रुप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रुप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी।
vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।

vii) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सहलेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जायेगी।

viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो।

ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।

xi) केवल वे पुस्तकें जिन पर ISBN होगा, योजना के अंतर्गत शामिल की जाएंगी।

3. **प्रविष्टि भेजने की विधि :**

i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे भरे हुए) के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी।

iii) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है । प्रविष्टियां **30 जून, 2023** तक राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिए।

4. **पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:**

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा ।

5. **पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:**

i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।

ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

6. **सामान्य सूचना:**

i) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी (वातानुकुलित) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

iii) योजना के बारे में सूचना विभाग की वेबसाइट http://rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है।

7. **प्रविष्टि भेजने का पता:**

उप निदेशक (का.)
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
फोन- 011-23438143
011-23438046

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
उप सचिव (का.)
दूरभाष 011-23438046

प्रति:-

1. निदेशक, जन-संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना के संबंध में प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में समुचित सूचना परिचालित करें।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें।
4. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का. ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।
6. राजभाषा विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।

अभिलाषा मिश्रा

(अभिलाषा मिश्रा)
उप निदेशक (का.)
फोन : 23438046

प्रपत्र-1

भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार - वर्ष 2022

1. पुस्तक का नाम - (हिंदी में)..
(अंग्रेजी में)...
2. (i) लेखक/सहलेखक का नाम- (हिंदी में)..
(अंग्रेजी में)...
(ii)पूरा पता(पिन कोड सहित)...
....
....
(iii) दूरभाष... फैक्स संख्या...
(iv) मोबाईल फोन नं. ....
(v) ई-मेल(स्पष्ट अक्षरों में)..
3. (i) प्रकाशक का नाम ....
(ii) प्रकाशक का पूरा पता..
(iii) प्रकाशन का वर्ष..
4. (i) क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें ....
....
(ii) क्या पुस्तक के लेखक/सहलेखक को पिछले तीन वर्षों में राजभाषा विभाग की किसी भी पुस्तक लेखन योजना के अन्तर्गत कोई भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो वर्ष ....एवं.........................
पुरस्कार का ब्यौरा ....
5. (क)आधार नं...
(ख) आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते संबंधी निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दें :
(i) जहां बैंक खाता है, उस शाखा का दूरभाष सहित पता -...
(ii) बैंक खाता संख्या नं. (पूरा) -...
(iii) आई एफ एस सी कोड-...

6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि
(i) मैं ....पुत्र/पुत्री श्री .... भारतीय नागरिक हूँ।
(ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
(iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।
मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.........................
दिनांक:....................... लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर.......................................

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।
नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए ।